कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर

आदेश—I

क्रमांक / स्था0 / 2024 / 663 दिनांकः— 09/12/2024

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 07 / विविध / 2024 दिनांक 30.11.2024 द्वारा उनके न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 09 / ई. वी. / 2023 दिनांक 16.11.2023 के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25 दिसम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित किया गया है। आदेशानुसार समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे, परन्तु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समस्त न्यायालय राजपत्रित तथा सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर दिनांक 25.12.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुले रहेंगे। उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं उक्त न्यायालयों के कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 8 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह आदेश भी दिया गया है कि दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवेदन पत्र जो सेशन न्यायालय के समक्ष पेश किये जावेंगे या लंबित है, उन्हें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हें भी जिला एवं सेशन न्यायाधीश उक्त प्रयोजनार्थ अधिकृत करेंगे, सुनेंगे एवं निपटायेंगे।

उक्त आदेश की पालना में शीतकालीन अवकाश दिनांक 25.12.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों मय विशिष्ठ न्यायालय जिनका कार्य जिला न्यायाधीश व अजमेर न्यायक्षेत्र के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों में निहित है, की अनुपस्थिति में अजमेर न्यायक्षेत्र के पूरे सेशन खण्ड के आवश्यक आवेदन पत्र, जमानत आवेदन पत्र तथा सेशन व रिमाण्ड सम्बन्धी आवेदन पत्र जो सेशन, अपर सेशन न्यायालय के समक्ष पेश किये जायेंगे या लंबित है, को सुनने व निपटाने मय को किये जाने हेतु निम्नांकित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता हैः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी एवं पद	ड्यूटी दिनांक
1.	श्रीमती सलोनी माथुर अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न.03 अजमेर	दिनांक 25.12.2024 से दिनांक 26.12.2024 तक
2.	श्री रजनीश अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न.02 अजमेर	दिनांक 27.12.2024 से दिनांक 29.12.2024 तक
2.	श्री पूरण सिंह मीणा अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न.01 अजमेर	दिनांक 30.12.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक

उक्त न्यायालय उक्त अवधि में पेश होने वाले आवश्यक सिविल मामलों का भी निपटारा करेंगे।

आदेश–II

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के उक्त आदेशानुसार शीतकालीन अवकाश अवधि में अजमेर न्यायक्षेत्र के जमानत एवं निरोध अवधि आदि की अभिवृद्वि (रिमाण्ड) सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक सिविल एवं आपराधिक मामलों को निपटाने के लिये एक सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत करने के निर्देश हैं।

अतः शीतकालीन अवकाश दिनांक 25.12.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक की अवधि के दौरान सम्पूर्ण अजमेर न्यायक्षेत्र के जमानत एवं निरोध अवधि की अभिवृद्वि (रिमाण्ड) सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक सिविल व आपराधिक मामलों को निपटाने के लिये निम्नांकित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पद	ड्यूटी दिनांक
1.	श्री मनमोहन चन्देल अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न.02 अजमेर	दिनांक 25.12.2024 से दिनांक 27.12.2024 तक
2.	श्री चार्विन बागमार अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न.01 अजमेर	दिनांक 28.12.2024 से दिनांक 30.12.2024 तक
3.	श्रीमती पूर्णिमा शर्मा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न.05 अजमेर	दिनांक 31.12.2024

उक्त न्यायालयों के अलावा अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय शीतकालीन अवकाश की अवधि में बन्द रहेंगे।

आदेश II में अंकित अधिकारीगण अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त प्रोटोकॉल सम्बन्धी कार्य की देखरेख एवं व्यवस्था संबंधी सुपरविजन भी करेंगे।

आदेश I में अंकित अधिकारीगण उनकी ड्यूटी अवधि में आने वाले राजकीय/सार्वजनिक अवकाशों में रिमाण्ड एवं अन्य अत्यावश्यक कार्य हेतु मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे। आदेश II में अंकित अधिकारीगण राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश के दिन समय 11:00 ए.एम. से 01:00 पी.एम. तक उनके न्यायालय में कार्य निष्पादित करेंगे एवं उक्त कार्य समय के अतिरिक्त रिमाण्ड ड्यूटी के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से रिमाण्ड ड्यूटी के अगले कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक अपने निवास पर कार्य निष्पादित करेंगे।

आदेश I व II में जिन अधिकारीगण को शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिस तिथि तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है, वह आगामी अधिकृत अधिकारीगण की तिथि को कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर कार्य करेंगें।

शीतकालीन अवकाश की अवधि में उक्त न्यायालय/कार्यालय उनके आगे अंकित तिथियों में राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर नियमित रूप से खुले रहेंगे तथा इन न्यायालयों में कार्यरत सभी कर्मचारीगण भी नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
9-12-24 अजमेर

क्रमांक / 41654 - 41760 दिनांकः– 09/12/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अजमेर न्यायक्षेत्र स्थित समस्त पीठासीन अधिकारी / समस्त प्रभारी अधिकारी / समस्त अभिभाषक संघ
2. पुलिस अधीक्षक, अजमेर
3. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर / उपकारागृह ब्यावर / उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर
4. वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय, अजमेर
5. प्रोटोकॉल ऑफिसर कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिला न्यायालय, अजमेर
6. स्टेनोग्राफर ग्रेड–प्रथम जिला न्यायालय अजमेर
7. रीडर ग्रेड–प्रथम, जिला न्यायालय, अजमेर
8. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय अजमेर को जिला न्यायालय अजमेर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सेल अमीन / नाजिर जिला न्यायालय, अजमेर

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
9-12-24 अजमेर